

29/3/22

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी इपरिचाल वकील प्रार्थी ने पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं चाही जाने का निवेदन किया व सहमति स्वल्प इत्ताक्षर दिये। इन वकील प्रार्थी के निवेदन अनुसार प्रार्थना पत्र खारिज किया जावा है। पत्रावली फेंकल हुआ है। नकार से काम की जावे।

No instruction

[Handwritten signature]

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, गुपालसागर
जिला-बिहीनगर (राज.)

